न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–17/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मुनीरा पुत्र ईदू खां जाति सक्का
2. इब्रा पुत्र ईदू खां जाति सक्का
3. लाला पुत्र ईदू खां जाति सक्का, समस्त निवासीयान ग्राम दीवली पहाड, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

.... अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जर्ये जिला कलेक्टर, अलवर
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर
3. चौथूराम पुत्र मन्नाराम जाति खत्री, निवासी ग्राम दीवली, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

.... रेस्पो0/प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री भरत जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, पैरोकार सरकार ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.10.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत इश्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 664 रकबा 0.74, 674 रकबा 0.70 ऐयर वाके ग्राम दीवली जिसके साबिक खसरा नंबर 536 मिन रकबा 4 बिस्वा, 537 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 538 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 570 मिन रकबा 2 बिस्वा, 572 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है जो विवादित आराजी है। आराजी मुतनाजा वादीगण की बुजुर्गानी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर पहले वादीगण/अपीलांट्स के बुजुर्ग तथा अब वादीगण/अपीलांट्स बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। वक्त जब्ती जागीरदारी व बिस्वेदारी भी वादीगण/अपीलांट्स के वालिद उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते थे तथा उनके मरने के बाद अब वादीगण बदस्तुर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण/अपीलांट्स के बुजुर्गों का आराजी मुतनाजा पर करीब 60 साल

पुराना कब्जा है। एडवर्स पजेशन के अनुसार भी आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी हैं। बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को गलत तरीके से चौथूराम नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी जो गलत है। अतः वादीगण/अपीलांट्स को उक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी/अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को निस्तारित करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया।तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादीगण/अपीलांट्स का विवादित आराजीयात पर 60 साल से निरंतर खुला कब्जा चला आ रहा है जो तथ्य वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्रों से साबित था। जिस कारण वादीगण/अपीलांट्स 12 साल से निरंतर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तहत अदालत के आदेश दिनांक 30. 04.2014 की पालना में दिनांक 16.09.2015 को पटवारी हल्का दीवली ने विवादित आराजीयात हाल खसरा नंबर 664 रकबा 0.74 है0 एवं खसरा नंबर 674 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम दीवली पर कब्जे बाबत् सरपंच एवं उपसरपंच ग्राम पंचायत दीवली की उपस्थिति में मौके पर जाकर जांच कर मौका पर्चा दिनांक 16.09.2015 तहत न्यायालय में पेश किया था जिसमें भी पटवारी हलका ने मौके पर उक्त आराजीयात पर वादीगण/अपीलांट्स का ही काफी दिनों से कब्जा बताया है तथा यह भी अंकित किया है कि चौथूराम पुत्र मन्नाराम खत्री ग्राम पंचायत दीवली में मौजूद नही है। जिससे वादीगण/अपीलांट्स का कब्जा मुखालफाना साबित होता है। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट से वादीगण/अपीलांट्स का 12 साल से अधिक समय से सभी प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की देखरेख में निरंतर प्रतिकूल कब्जा होना साबित होता है। जिस कारण वादीगण/अपीलांट्स कब्जे के आधार पर उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में खातेदारी प्राप्त करने की विधि विरूद्ध सलाह दी है जिससे भी वादीगण/अपीलांटस का कब्जा मुखालफाना होना साबित होता है लेकिन तहत अदालत इस तथ्य को नही समझ सकी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भू आवंटन नियम 1970 में खातेदारी देने का प्रावधान नही है बल्कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेगूलर सूट में ही धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी की न्यायालय द्वारा ही डिक्री प्रदान की जा सकती है। तहत न्यायालय में सरपंच ग्राम पंचायत दीवली का प्रमाणपत्र दिनांक 19.07.07 भी पेश किया गया था जिसमें भी सरपंच ने यह तस्दीक किया कि चौथराम पुत्र मन्नाराम जाति खत्री नाम का कोई भी व्यक्ति या उसकी संतान 50-60 साल से ग्राम दीवली में नही रहते हैं जिससे भी विवादित आराजी पर वादीगण का 12 वर्ष से अधिक का प्रतिकूल कब्जा होना साबित होता है। लेकिन न्यायालय तहत ने ना तो पटवारी हलका के मौका पर्चा का और ना ही सरपंच के प्रमाण पत्र का अपने निर्णय में कोई उल्लेख किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय

के अवलोकन से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय लोक अदालत में तथा वह भी वादीगण/अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत में राजीनामें के आधार पर ही तथा वह भी राजीनामा अनुसार ही निर्णय पारित किया जा सकता है तथा यदि पक्षकारों में राजीनामा नही हो या कोई पक्षकार लोक अदालत में राजीनामा हेतु उपस्थित भी नही हो तो भी लोक अदालत में इस प्रकार कोई भी निर्णय इकतरफा में पारित नही किया जा सकता है, ना ही लोक अदालत में अनुपस्थित रहने पर पक्षकार के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही या इकतरफा में सुनवाई की जा सकती है, ना ही इकतरफा में कोई आदेश पारित किया जा सकता है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि दोनों पक्षों को सुना गया जबकि वादीगण/अपीलांट्स लोक अदालत की सूचना के अभाव में वहां उपस्थित नही हुये, ना ही वादीगण/अपीलांट्स का वकील वहां उपस्थित हुआ तो फिर न्यायालय अधीनस्थ ने दोनों पक्षों को कैसे सुना? तहत अदालत द्वारा वादीगण/अपीलांट्स को लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु कोई भी नोटिस या सूचना नही भेजी फिर भी वादीगण/अपीलांट्स को सुने बिना ही विवादित निर्णय पारित किया है। लोक अदालत में मैरिट्स पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि विवादित आराजी चौथूराम पुत्र मन्नाराम खत्री के नाम विस्थापित शरणार्थी गैर खातेदार दर्ज है जो जमाबंदी संवत 2014 से बदस्तूर चला आ रहा है। संवत 2010 में चौथूराम की काश्त दर्ज रही है। बंदोबस्त विभाग द्वारा कोई गलत इन्द्राज नही किया गया है। विवादित आराजी शुरू से ही कस्टोडियन गैरखातेदारी की भूमि रही है तथा वर्तमान में भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 का अवलोकन किया।

तहत अदालत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 22.06.15 "पक्षकारान को सूचित कर पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प दीवली में दिनांक 09.07.2015 को पेश हो।" तहत अदालत की पत्रावली में वादीगण/अपीलांट्स को लोक अदालत में निश्चित दिनांक को उपस्थित होने हेतु पत्रावली में सम्मन/नोटिस संलग्न नही है। प्रकरण लोक अदालत में निर्णीत हुआ है। लोक अदालत में केवल सहमति/राजीनामा से संबंधित प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। तहत अदालत द्वारा, प्रस्तुत प्रकरण का अपीलांट्स की सहमति के बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना निस्तारण किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त की जाती है। प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये गुणावगुण पर पुनः अपना तनकीवार निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 01.12.2020 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.10.20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर